2025:CGHC:47390-DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रथम अपील (वैवाहिक) क्रमांक 293/2024

- हेमू साहू उर्फ मुंशी, पिता स्व. कार्तिक साहू, आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी- ग्राम बलौदी (बजरंग चौक), थाना/तहसील – पलारी, जिला – बलौदाबाजार –भाटापारा (छ.ग.)

---- अपीलार्थी / प्रत्यर्थी

विरुद्ध

1- श्रीमती रानू साहू पति स्व. रेशम लाल साहू, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी ग्राम बलौदी(शांति पारा), थाना/तहसील पलारी, जिला: बलौदाबाजार – भाटापारा, छत्तीसगढ़

2- सुश्री प्रीति साहू पिता स्व. रेशम लाल साहू, आयु लगभग 12 वर्ष (द्वाराः विधिक संरक्षक माँ प्रत्यर्थी क्रमांक-1) निवासी ग्राम बलौदी (शांति पारा), थाना/तहसील पलारी, जिला : बलौदाबाजार- भाटापारा, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3- सुश्री जया साहू पिता स्व. रेशम लाल साहू, आयु लगभग 10 वर्ष (द्वाराः विधिक संरक्षक माँ प्रत्यर्थी क्रमांक-1) निवासी- ग्राम बलौदी (शांति पारा), थाना/तहसील पलारी, जिला : बलौदाबाजार- भाटापारा, छत्तीसगढ़

4- श्री नवीन साहू पिता स्व. रेशम लाल साहू, आयु लगभग 8 वर्ष, (द्वाराःविधिक संरक्षक माँ प्रत्यर्थी क्रमांक- 1), निवासी गांव बलौदी (शांति पारा), थाना/तहसील पलारी, जिला : बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़

---प्रत्यर्थीगण /वादीगण

आवेदक की ओर से : श्री विक्रम प्रताप, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री अजय कुमार चंद्रा, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद

(**बोर्ड पर निर्णय**)

<u>द्वारा, न्यायमूर्ति रजनी दुबे</u>

<u>16.09.2025</u>

1. अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु प्रस्तुत अन्तरवर्ती आवदेन क्रमांक 02/2024 को सुना गया।

2. वादीगण/प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आवदेन पर पूरजोर आपत्ति उठाई एवं यह तर्क किया कि प्रतिवादी/आवेदक द्वारा विलंब का कोई पर्याप्त कारण प्रदर्शित नहीं किया गया है; अतः उक्त आवदेन निरस्त किए जाने योग्य है।

3. अन्तरवर्ती आवदेन क्रमांक 02/2024 में प्रतिवादी/अपीलार्थी ने उल्लेख किया है कि दिनांक 29.06.2024 को पारित निर्णय से अवगत नहीं था तथा उसे निर्णय की सत्यापित प्रतिलिपि विलंब से प्राप्त हुई एवं तत्पश्चात उसने यह अपील प्रस्तुत की। प्रतिवादी/अपीलार्थी ग्रामीण क्षेत्र का निवासी है तथा उसके पास न्यूनतम बुनियादी शैक्षिणिक योग्यता नहीं थी एवं उसके स्थानीय अधिवक्ता ने भी उसे निर्णय के विषय में अवगत नहीं कराया। इस कारण उसने यह आवेदन 443 दिवस के उपरांत प्रस्तुत किया। यह आवेदन प्रत्यर्थी/अपीलार्थी के शपथपत्र द्वारा समर्थित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इस प्रकार, प्रकरण की तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा आवेदन में वर्णित कारणों को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त आवेदन स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए 443 दिवस के विलंब को क्षमा किया जाता है।

5. आवेदन पर सुना गया।

6.वर्तमान अपील कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के अधीन अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बलौदा बाजार (छ.ग.) द्वारा एम.जे.सी. प्रकरण क्रमांक 03/2022 में दिनांक 25.02.2023 को पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है,जिसमें वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा हिंदू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था। इस अपील के पक्षकारों को यहाँ कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष उनके विवरण के अनुसार ही संदर्भित किया जाएगा।

7. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि वादी क्रमांक 01– रानू साहू का विवाह, प्रतिवादी हेमू साहू के पुत्र रेशमलाल साहू के साथ, वर्ष 2008 में ग्राम बलौदी में सामाजिक रीति–रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था, जिसे साहू समाज द्वारा मान्यता दी गई थी। दोनों ने पति–पत्नी के रूप में एक सुखद वैवाहिक जीवन व्यतीत करना शुरू किया और उनके वैवाहिक संबंध से 02 पुत्रियों, प्रीति साहू एवं जया साहू, तथा 01 पुत्र, नवीन साहू, का जन्म हुआ, जो वर्तमान में वादी के संरक्षकता में हैं। वादपत्र में यह अभिवचन किया गया था कि विवाह के उपरांत, वादी क्रमांक 01 और उसके ससुराल वालों के मध्य संबंध लगभग 10 वर्षों तक सौहार्दपूर्ण रहे। तत्पश्चात्, वादी क्रमांक 01 का पति रेशमलाल, अपने पिता के प्रभाव में आकर,

वादी क्रमांक 01 को शारीरिक और मानसिक रूप से तंग करने लगा। वादी क्रमांक 01 ने इस उम्मीद में अपने पति द्वारा किए गए शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न को सहन किया कि देर–सवेर उसका स्वभाव बदल जाएगा और उनका वैवाहिक जीवन सुखद होगा। यद्यपि, रेशमलाल साहू के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, और वह समय–समय पर वादी क्रमांक 01 के साथ मारपीट करता था। वादपत्र में आगे यह भी अभिवचन किया गया था कि प्रतिवादी और वादी क्रमांक 01 की सास, तीजन बाई साहू, स्वभाव से बहुत क्रूर और कठोर होने के कारण, वादी तथा अपने पोते और पोती के प्रति स्नेह नहीं दिखाती थी। इस प्रकार, वादी क्रमांक 01 प्रतिवादी के व्यवहार को सहन करती रही। कुछ समय पश्चात, वादी क्रमांक 01 अपने अप्राप्तवय संतानों के साथ अपने मायके ग्राम बलौदी चली गई। उसी दिन, वादी क्रमांक 01 का पति रेशमलाल साहू अपने अप्राप्तवय संतानों और वादी क्रमांक 01 से मिलने गया, किंतु उनसे मिल नहीं सका और वापस अपने घर चला गया एवं कुछ समय पश्चात्, अपने माता–पिता से विवाद के कारण, रेशमलाल साहू ने अपना धैर्य खो दिया और दिनांक 12–06–2018 को स्वयं पर मिट्टीतेल डालकर आत्महत्या कर ली। रेशमलाल की आत्महत्या की सूचना मिलने के उपरांत, वादी क्रमांक 01 संतानों के साथ अपने ससुराल गई और अपने पति के अंतिम संस्कार में भाग लिया तथा अपने ससुराल वालों के घर में रहने लगी। वादपत्र में यह भी अभिवचन किया गया था कि ससुराल में रहने के दौरान, प्रतिवादी ने वादी क्रमांक 01 के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और वादी क्रमांक 01 तथा उसके अप्राप्तवय संतानों को भोजन, पेय और उचित स्वास्थ्य लाभ प्रदान नहीं किया, जिसके कारण वादीगण असहाय और निराश्रित हो गए हैं। वादीगण ने, प्रतिवादी द्वारा किए जा रहे शारीरिक और मानसिक यातना के कारण, अपने ससुराल वालों के विरुद्ध एक सामाजिक बैठक बुलाई, जिसमें समाज के प्रमुख व्यक्तियों ने प्रतिवादी से वादी क्रमांक 01 और उसके अप्राप्तवय संतानों के साथ रहने तथा उनके पालन–पोषण की जिम्मेदारी उठाने और उनकी आजीविका के लिए एक कमरा तथा एक एकड़ जमीन प्रदान करने को कहा, किंतु प्रतिवादी ने समाज के प्रमुख व्यक्तियों के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कुछ भी देने से इनकार कर दिया। वादपत्र में यह भी अभिवचन किया गया था कि वादी क्रमांक 01 के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, जिसके कारण वह अपने अप्राप्तवय संतानों के साथ अपने मायके ग्राम बलौदी में रह रही है और एक विधवा पुत्रवधू होने के नाते, वह प्रतिवादी से भरण–पोषण प्राप्त करने की हकदार है। वादी क्रमांक 01 के पति की मृत्यु के कारण, वादीगण असहाय हो गए हैं और तीनों अप्राप्तवय संतानों की शिक्षा, देखरेख और पालन–पोषण के लिए आय का कोई स्रोत नहीं है। अतः वादीगण ने प्रतिवादी से स्वयं के लिए ₹5,000/– और तीनों अप्राप्तवय संतानों में से प्रत्येक के लिए ₹3,000/– अर्थात् कुल ₹14,000/– प्रति माह के भरण–पोषण की मांग करते हुए वाद प्रस्तुत किया।

8. प्रतिवादी ने, अपने जवाब में, सभी आरोपों का खंडन किया एवं कथन किया कि वादी क्रमांक 01 का विवाह ग्राम सरोरा, रायपुर के किसी अन्य व्यक्ति के साथ हुआ था, जहाँ वादी क्रमांक 01 लगभग 1 वर्ष तक अपने पति के साथ ससुराल में रह रही थी। वादी क्रमांक 01 ने प्रतिवादी के पुत्र रेशमलाल साहू को

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अपने प्रेमजाल में फँसाया और रेशमलाल को अपने गाँव सरोरा बुलाकर,अपने ससुराल को छोड़ दिया तथा उसके पुत्र रेशमलाल के साथ भाग गई और 3–4 माह तक रायपुर में रही। इस प्रकार, हिंदू विधि और रीति–रिवाजों के अनुसार वादी क्रमांक 01 और प्रतिवादी के पुत्र रेशमलाल के मध्य कोई विवाह नहीं हुआ था। कुछ दिवस उपरांत, वे दोनों ग्राम बलौदी आए और प्रतिवादी के घर में रहने लगे। आगे यह कथन किया गया कि वादी क्रमांक 01 और उसके मृतक पुत्र रेशमलाल के मध्य कोई विवाह संपन्न नहीं हुआ था, और जिस दिन से वादी क्रमांक 01 उसके पुत्र के साथ प्रतिवादी के घर आई थी, वह छोटी–छोटी बातों पर बहस और झगड़ा करती थी तथा हमेशा प्रतिवादी के पुत्र को तंग व प्रताड़ित करती रही। वादी क्रमांक 01 का मायका भी ग्राम बलौदी में है और जब से वादी क्रमांक 01 ने प्रतिवादी के पुत्र के साथ रहना शुरू किया, वादी प्रतिवादी, उसकी पत्नी और पुत्र रेशमलाल के साथ बहस और झगड़ा करके अपने मायके चली जाती थी। वादी क्रमांक 01 अपनी धौंस दिखाते हुए उन सभी को झूठे प्रकरण में फँसाने की धमकी देती थी, जिस पर प्रतिवादी और उसके परिवार ने वादी को समझाने के लिए समाज के मुखियाओं की बैठकें बुलाईं, जहाँ वादी क्रमांक 01 रेशमलाल के साथ केवल कुछ दिन ही रहती थी और छोटी–छोटी बातों पर झगड़ा करती थी, भोजन पकाने और परोसने से मना कर देती थी तथा अपने मायके जाकर खाना खाकर वापस प्रतिवादी के घर आ जाती थी। यह भी कथन किया गया था कि वादी और प्रतिवादी का पुत्र रेशमलाल ग्राम बलौदी में एक साथ रहते थे और रेशमलाल मैकेनिक का कार्य करता था तथा वादी क्रमांक 01 सिलाई एवं कढ़ाई का कार्य करती थी। प्रतिवादी अपनी पत्नी तीजन बाई के साथ आजीविका के लिए महाराष्ट्र चला गया और इसी दौरान, वादी क्रमांक 01 लगातार प्रतिवादी के पुत्र रेशमलाल को तंग व प्रताड़ित करती रही और उसे झूठे प्रकरण में फँसाने की धमकी दी, जिससे तंग आकर, रेशमलाल ने मिट्टीतेल डालकर स्वयं को जलाने का प्रयास किया। उक्त घटना की जानकारी मिलने के पश्चात, प्रतिवादी और उसकी पत्नी, महाराष्ट्र से लौटते समय, वादीगण और रेशमलाल के लिए कपड़े खरीदे तथा वादी क्रमांक 04 के लिए एक साइकिल भी लाए, जो प्रतिवादी और उसकी पत्नी के वादीगण के प्रति स्नेह और प्रेम को दर्शाता है, किंतु वादी क्रमांक 01 ने कभी भी प्रतिवादी, उसकी पत्नी और उसके पुत्र रेशमलाल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। यह भी कथन किया गया कि वादी अपने मायके चली गई थी, जिस पर रेशमलाल उसी दिन संतानों के साथ उसे वापस लाने गया था, किंतु वादी ने रेशमलाल के साथ झगड़ा किया और उसके साथ आने से इंकार कर दिया, उसका अपमान किया तथा उन सभी को प्रकरण में फँसाने की धमकी दी। वहाँ से लौटने के उपरांत, मानसिक आघात के कारण, प्रतिवादी के पुत्र रेशमलाल ने स्वयं पर मिट्टीतेल डालकर आत्महत्या कर ली। यह भी अभिवचन किया गया है कि प्रतिवादी के पुत्र की दुखद मृत्यु के उपरांत, उसने वादी क्रमांक 01 से उनके साथ रहने का अनुरोध किया क्योंकि उनका एकलौता पुत्र मर चुका था, किंतु वादी क्रमांक 01 ने उनके साथ रहने से इंकार कर दिया और संतानों के साथ अपने मायके चली गई। यह आगे कथन किया गया है कि वादी क्रमांक 01 पहले एक दर्जी के रूप में कार्य करती थी और उसने वह कार्य जारी रखा है तथा उसका सिलाई का कार्य गाँव में फल–फूल रहा है। इस कार्य से, वादी क्रमांक 01 प्रतिदिन लगभग ₹1,000/–

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कमाती है, जिससे वह अपना और अन्य वादीगण का भरण–पोषण करने में सक्षम है। प्रतिवादी अभी भी वादीगण को रहने के लिए एक घर प्रदान करने को तैयार है। प्रतिवादी और उसकी पत्नी वृद्ध हैं और अपनी आजीविका के लिए कार्य करने में असमर्थ हैं। यद्यपि, वादी क्रमांक 01 अपने दायित्व से बचने के लिए अपने माता–पिता के घर रह रही है। वादी क्रमांक 01 के माता–पिता भी संपन्न हैं, और वह आय अर्जित करने वाली वयस्क स्त्री है, जो अपना और अन्य वादीगण का भरण–पोषण करने में सक्षम है। प्रतिवादी के पास कोई कृषि भूमि नहीं है और वह कठिनतापूर्वक अपना और अपनी पत्नी का जीवनयापन कर पा रहा है। जब वादी क्रमांक 01 प्रतिवादी के घर पर थी, तब वह सिलाई का कार्य करके आय अर्जित करती थी और वादीगण, प्रतिवादी तथा उसकी पत्नी का भरण–पोषण करती थी। अतः, वादी क्रमांक 01 प्रतिवादी के पुत्र की विधिमान्य रूप से विवाहित पत्नी नहीं होने के कारण, प्रतिवादी से भरण–पोषण राशि प्राप्त करने की हकदार नहीं है। इसलिए, वादीगण द्वारा हिंदू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19(1) के अधीन प्रस्तुत वादपत्र निराधार और बेबुनियाद है, एवं अतः वाद खारिज किया जाए।

9. विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण करने के उपरांत वादीगण के आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि वादी क्रमांक 1 ने अपना प्रकरण साबित करने में सफल नहीं रही है, जबकि वादी क्रमांक 2 से 4 अपना प्रकरण साबित करने में सफल रहे हैं एवं इस प्रकार 6,000/–रुपये (अर्थात् वादी क्रमांक 2 से 4 प्रत्येक को 2,000/– रुपये) प्रतिमाह भरण–पोषण के रूप में स्वीकृत किए। अतः प्रतिवादी द्वारा यह वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. प्रतिवादी/अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलार्थी एक वरिष्ठ नागरिक है और विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने हिंदू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19 (1) के प्रावधानों की विवेचना किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं आज्ञप्ति पारित कर दी है, जो अवैध, विकृत तथा विधि के प्रावधान के विपरीत है। विद्वान कुटुम्ब न्यायालय को प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के उस न्यायालयिक कथन पर विचार करना चाहिए था, जिसमें उसने कहा है कि दिलीप साहू उसके पहले पति थे और उससे विवाह–विच्छेद किए बिना ही उसने दूसरे पति स्व. रेशमलाल साहू से विवाह कर लिया था, तथा वह प्रतिवादी/अपीलार्थी के पुत्र के साथ अपने विवाह को साबित करने में असफल रही है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की उचित विवेचना नहीं की और आक्षेपित आदेश पारित कर दिया, जो अवैध है तथा संधारणीय नहीं है। अपीलार्थी वृद्ध व्यक्ति है एवं अपनी वृद्ध पत्नी के साथ रह रहा है तथा उसका व उसकी पत्नी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वह अपनी आजीविका के लिए कृषि कार्य करता है और उसकी कुल आय उसकी पत्नी के भरण–पोषण तथा घरेलू व्यय में उपयोग हो जाती है। अतः आक्षेपित निर्णय एवं आज्ञप्ति अपास्त किए जाने योग्य है।

11. दूसरी ओर, वादीगण/प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय एवं आज्ञप्ति का समर्थन करते हुए तर्क किया कि विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने वादी/प्रत्यर्थी क्रमांक 1– रानू साहू के दावे को अस्वीकार कर दिया है और केवल वादी क्रमांक 2 से 4 के पक्ष में भरण–पोषण प्रदान किया है, जो प्रतिवादी/अपीलार्थी के पुत्र स्व. रेशमलाल साहू की अप्राप्तवय पुत्रियाँ और पुत्र हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की उचित विवेचना करने के उपरांत आक्षेपित आदेश पारित किया और वादी क्रमांक 2 से 4 प्रत्येक को मात्र 2,000/– रुपये, कुल 6,000/– रुपये का भरण–पोषण अधिनिर्णीत किया है, जो अपर्याप्त है। अतः वर्तमान अपील खारिज किए जाने योग्य है।

12. पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया।

13. प्रतिवादी/अपीलार्थी का प्रथम आपत्ति यह है कि वादी/प्रत्यर्थी क्रमांक 1, प्रतिवादी के पुत्र रेशमलाल साहू की विधिमान्य विवाहित पत्नी नहीं है, और वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा हिंदू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19(1) के अधीन जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है, वह पोषणीय नहीं है। अतः आक्षेपित निर्णय, अधिनियम की धारा 19(1) के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण, अपास्त किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन से यह स्पष्ट है कि यह आवेदन हिंदू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19(1) के अधीन प्रस्तुत किया गया है और वादी क्रमांक 1/प्रत्यर्थी – रानू साहू, स्व. रेशमलाल साहू की पत्नी है तथा वादीगण/प्रत्यर्थीगण क्रमांक 2 से 4, स्व. रेशमलाल साहू की संतानें हैं ।

15. विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेज़ी साक्ष्य का सूक्ष्मतापूर्वक विवेचना करने के उपरांत यह पाया कि वादी क्रमांक 1/प्रत्यर्थी रानू साहू, यहाँ प्रतिवादी/अपीलार्थी के पुत्र स्व. रेशमलाल साहू की विधिमान्य विवाहित पत्नी नहीं है। किंतु, विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने यह पाया कि वादीगण/प्रत्यर्थीगण क्रमांक 2 से 4, वादी क्रमांक 1– रानू साहू और यहाँ प्रतिवादी/अपीलार्थी के पुत्र स्व. रेशमलाल साहू की संतानें हैं। इस प्रकार, न्यायालय ने वादी क्रमांक 1/प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के संबंध में आवेदन को अस्वीकार किया और वादी क्रमांक 2 से 4/प्रत्यर्थी क्रमांक 2 से 4 के आवेदन को स्वीकार करते हुए, प्रत्येक को ₹2,000/– प्रतिमाह, कुल ₹6,000/– प्रतिमाह भरण–पोषण के रूप में प्रदान किया ।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **पी.के. पलानीसामी विरुद्ध एन. अरुमुघम व एक अन्य (2009) 9 एससीसी 173:(2009) 3 एससीसी (सिवि.) 649** में प्रकाशित प्रकरण के कण्डिका 27 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

> "27. .... केवल इसलिए कि अपीलार्थी द्वारा गलत प्रावधान का उल्लेख किया गया, यह स्वयं में न तो आवेदन को अपोषणीय अभिनिर्धारित करने का आधार होगा और न ही उस पर पारित आदेश को शून्य माना जाएगा।

यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी गलत प्रावधान का उल्लेख करना अथवा किसी प्रावधान का उल्लेख न करना, आदेश को अवैध नहीं बनाता, यदि न्यायालय अथवा वैधानिक प्राधिकारी को उस विषय में अपेक्षित अधिकारिता प्राप्त हो।”

17. हिंदू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19 विधवा पुत्रवधू के भरण–पोषण का प्रावधान करती है, किंतु इसी अधिनियम, 1956 की धारा 21 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:–

21. **आश्रितों की परिभाषा–** इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए "आश्रितों" से मृतक के निम्नलिखित नातेदार अभिप्रेत हैं–

(i) उसका पिता;

(ii) उसकी माता;

(iii) उसकी विधवा, जब तक कि वह पुनर्विवाह न कर ले,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iv) उसका पुत्र, या उसके पूर्वमृत पुत्र का पुत्र या उसके पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र का पुत्र जब तक कि वह अप्राप्तवय रहेः परन्तु यह जब तब कि और उस विस्तार तक जहां तक कि वह पौत्र की दशा में अपनी माता या पिता की सम्पदा से और प्रपौत्र की दशा में अपने पिता या माता की या पिता के पिता या पिता की माता की सम्पदा से, भरण–पोषण अभिप्राप्त करने में असमर्थ हो;

(v) उसकी अविवाहिता पुत्री या उसके पूर्वमृत पुत्र की अविवाहिता पुत्री या उसके पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र की अविवाहिता पुत्री जब तक कि वह अविवाहिता रहती है; परन्तु यह तब जब कि और उस विस्तार तक जहां तक कि वह पौत्री की दशा में अपने पिता या माता की सम्पदा से और प्रपौत्री की दशा में अपने पिता या माता की या पिता के पिता या पिता की माता की सम्पदा से, भरण–पोषण अभिप्राप्त करने में असमर्थ होः

(vi) उसकी विधवा पुत्री; परन्तु यह तब जब कि और उस विस्तार तक जहां तक कि वह निम्नलिखित में से किसी से अपना भरण–पोषण अभिप्राप्त करने में असमर्थ हो–

(क) अपने पति की सम्पदा से; या

(ख) अपने पुत्र या पुत्री से, यदि कोई हो, या उस की सम्पदा से; या

(ग) अपने श्वसुर या उसके पिता से, या उन दोनों में से किसी की सम्पदा से;

(vii) उसके पुत्र की या पूर्वमृत पुत्र के पुत्र की कोई विधवा, जब तक कि वह पुनर्विवाह न कर ले; परन्तु यह तब जब कि और उस विस्तार तक जहां तक कि वह अपने पति की सम्पदा से, या अपने पुत्र या पुत्री से, यदि कोई हो, या उसकी सम्पदा से या पौत्र की विधवा की दशा में अपने श्वसुर की सम्पदा से भी भरण–पोषण अभिप्राप्त करने में असमर्थ हो;

(viii) उसका अप्राप्तवय अधर्मज पुत्र, जब तक कि वह अप्राप्तवय रहे;

(ix) उसकी अधर्मज पुत्री, जब कि वह अविवाहिता रहे।

18. वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन से यह स्पष्ट है कि वादीगण/प्रत्यर्थीगण क्रमांक 2 से 4 ने स्व. रेशमलाल साहू की संतानों के रूप में आवेदन प्रस्तुत किया है और लिखित कथन में यहाँ प्रतिवादी/अपीलार्थी ने यह कथन किया है कि वादी क्रमांक 1– रानू साहू उसके पुत्र रेशमलाल साहू के साथ रह रही थी। उसने कण्डिका 7 व 8 में यह भी कथन किया है कि अपने पुत्र रेशमलाल साहू के दुखद निधन के उपरांत, उसने वादी क्रमांक 1– रानू साहू से उनके साथ रहने का अनुरोध किया क्योंकि उनका इकलौता पुत्र चल बसा था, किंतु वादी क्रमांक 1 ने उनके साथ रहने से इंकार कर दिया और संतानों के साथ अपने मायके चली गई। प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से यह अस्वीकार नहीं किया है कि वादी क्रमांक 2 से 4 उसके पुत्र स्व. रेशमलाल साहू की संतान नहीं हैं। यहाँ प्रतिवादी/अपीलार्थी ने अपने लिखित कथन में यह अभिवचन भी किया है कि उसे अपने पुत्र स्व. रेशमलाल साहू की संतानों, वादी क्रमांक 2 से 4 के प्रति अत्यधिक स्नेह और प्रेम है। प्रतिवादी/अपीलार्थी ने अपने प्रति–परीक्षण के कण्डिका 3 में यह भी स्वीकार किया है कि वादी क्रमांक 1– रानू साहू उसके घर में 24 वर्षों तक रही थी और उसने स्वयं यह कथन किया कि वादी क्रमांक 1 के तीन संतानों (वादी क्रमांक 2 से 4) का जन्म उसके घर पर हुआ था।

19. विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेज़ी साक्ष्य की सूक्ष्मतापूर्वक विवेचना की और यहाँ वादीगण/प्रत्यर्थीगण क्रमांक 2 से 4 को भरण–पोषण के रूप में केवल ₹2,000/– प्रत्येक (कुल ₹6,000/–) प्रतिमाह अधिनिर्णीत किया है, जो उचित एवं न्यायसंगत है। विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने यह भी पाया है कि यहाँ प्रतिवादी/अपीलार्थी के पास 04 एकड़ कृषि भूमि है। विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेज़ी साक्ष्य की सूक्ष्मतापूर्वक विवेचना और जाँच करने के उपरांत, आक्षेपित निर्णय एवं आज्ञप्ति को उचित रूप में पारित किया है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

20. यह अपील सारहीन होने के कारण प्रारंभिक स्तर पर ही ख़ारिज किए जाने योग्य है एवं एतद्द्वारा **ख़ारिज** की जाती है। पक्षकारगण अपना वाद– व्यय स्वयं वहन करेंगे।

21. तदनुसार, आज्ञप्ति तैयार की जाए।

सही/–	सही/–
(रजनी दुबे)	**(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)**
न्यायाधीश	न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur